22 अक्टूबर, 2021 कार्यकारी आदेश 2021-28

कार्यकारी आदेश 2021-28
(COVID-19 कार्यकारी आदेश सं. 93)

जबकि, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक महामारी का सामना किया है जो असाधारण बीमारी और जीवन की हानि का कारण बना है, और जिसने 1.6 मिलियन से अधिक लोगों को संक्रमित किया है, और 25,000 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान; और,

जबकि, हालिया महीनों में, इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health (IDPH)) ने यह पाया है कि डेल्टा पाठभेद इलिनॉय में COVID-19 का सबसे हावी प्रभेद है और सभी आयु वर्गों के ऐसे सभी लोगों में तेज़ी से फैल चुका है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं; और,

जबकि, डेल्टा पाठभेद पहले के परिसंचारी COVID-19 के पाठभेदों की तुलना में अधिक आक्रामक और अधिक पारगम्य है, और वायरस के प्रसार को धीमा करने के चल रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण नए जोखिम पैदा करता है; और,

जबकि, डेल्टा पाठभेद भी वायरस के पूर्व पाठभेदों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है; और,

जबकि, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) का अनुमान है कि डेल्टा पाठभेद अब अमेरिका में सभी अनुक्रमित कोरोनावायरस मामलों के 99% से अधिक के लिए जिम्मेदार है; और,

जबकि, CDC ने उच्च वायरस संचरण के क्षेत्रों में, यहां तक कि पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों के लिए, साथ ही संघीय, राज्य, स्थानीय, आदिवासी, या क्षेत्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों, या स्थानीय व्यापार और कार्यस्थल मार्गदर्शन द्वारा आवश्यक होने पर मास्क पहनने के लिए सार्वजनिक रूप से भवन के अंदर मास्क पहनने की सिफारिश करते हुए मार्गदर्शन जारी किया है; और,

जबकि, देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें डेल्टा पाठभेद के परिणामस्वरूप ICU बिस्तर उपलब्ध हैं, यदि कोई हैं, और इलिनोइस के कई हिस्सों में उपलब्ध ICU बिस्तर की संख्या 20% से कम है; और,

जबकि, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबकि, CDC ने टीकाकरण को COVID-19 महामारी को समाप्त करने के लिए अग्रणी सार्वजनिक स्वास्थ्य रोकथाम रणनीति के रूप में मान्यता दी है और सिफारिश की है कि चाइल्ड केयर स्टाफ को जल्द से जल्द टीका लगाया जाए ताकि चाइल्ड केयर कार्यक्रमों में मदद मिल सके, जिसमें लाइसेंस प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र शामिल हैं, को स्टाफ और उनका दैखभाल में शामिल बच्चों की देखभाल, साथ ही साथ उनके परिवारकी सुरक्षा हो; और

जबकि, COVID-19 टीके सुरक्षित, प्रभावी और व्यापक रूप से 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के किसी भी इलिनॉय निवासी के लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं; और,

जबकि, COVID-19 टीके अब तक 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं हैं; और,

जबकि, हालांकि इलिनॉय के 68 लाख से अधिक निवासियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, पर डेल्टा प्रभेद के तेज़ प्रसार के विरुद्ध सुरक्षा देने के उद्देश्य से, यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम आवश्यक हैं कि टीका लगवा चुके निवासियों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे और उसमें कुछ चिंताजनक स्थानों में कार्य कर रहे व्यक्ति शामिल हों, इनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आस-पास कार्य करते हैं; और,

जबकि, राज्य में डेल्टा प्रभेद के संचरण में वृद्धि होने पर, लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्रों ने अधिक प्रकोपों का अनुभव किया है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान दिनांक तक 379 केंद्रों में लगभग 433 प्रकोप हुए हैं; और,

जबकि, बच्चे की देखभाल समुदाय में टीकाकरण की दर को बढ़ाना COVID-19 के विरुद्ध संरक्षण का सबसे शक्तिशाली उपलब्ध उपाय है, जिसके साथ-साथ मास्क पहनना और परीक्षण, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि बाल देखभाल यथासंभव सुरक्षित तरीके से प्रदान की जा सके; और,

जबकि, लाइसेंस प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्रों में COVID-19 के प्रसार को रोकना उन बच्चों की उपस्थिति के कारण गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपनी उम्र के कारण टीका लगाने में असमर्थ हैं; और,

जबकि, लाइसेंस प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने या नियमित परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता से प्रकोप को रोकने और कमजोर व्यक्तियों को संचरण को कम करने में मदद मिल सकती है, जो गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम में हो सकते हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो घर में छोटे बच्चों के साथ रहते हैं; और,

जबकि, अधिक जोख़िम वाले कमज़ोर लोगों, और साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्यव्यापी उपाय आवश्यक हैं; और,

जबकि, हर नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह एक स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य परिवेश स्थापित करके एवं बनाए रख कर, और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य व सुरक्षा उपायों का अनुपालन आवश्यक करके, कर्मचारियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा का संरक्षण करे; और,

जबकि, COVID-19 के निरंतर प्रसार, डेल्टा पाठभेद के जारी खतरे, और आबादी का महत्वपूर्ण प्रतिशत जो बिना टीकाकरण के रहता है, के आलोक में, मैंने 15 अक्टूबर, 2021 को घोषित किया कि इलिनॉय में COVID-19 के प्रसार के कारण वर्तमान परिस्थितियां इलिनॉय आपातकाल मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट(Illinois Emergency Management Agency Act) की धारा 4 के तहत एक महामारी और लोक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न करना जारी रखती हैं; और,

अतएव, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(12) और धारा 19, के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित को तत्काल प्रभावी करने का आदेश देता हूं:

अनुभाग 1: लाइसेंस प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्रों के कर्मियों के लिए टीकाकरण एवं परीक्षण आवश्यकताएं

a. परिभाषाएँ
   i. "लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र" एक ऐसी बाल देखभाल इकाई होती है जो पारिवारिक गृह से इतर किसी इकाई में 0 से 12 वर्ष के 3 से अधिक बच्चों को प्रति दिन 24 घंटे से कम बाल देखभाल नियमित रूप से प्रदान करती है एवं जिसे बाल एवं परिवार सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ चिल्ड्रेन एंड फ़ैमिली सर्विसेज़) से लाइसेंस प्राप्त होता है। "लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र" शब्द में राज्य के स्वामित्व या संचालन वाली कोई भी इकाई शामिल नहीं है।

ii. "लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र कर्मी" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो (1) किसी लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र द्वारा नियुक्त है, उसके लिए स्वयंसेवा करता है, या उसे सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधित है, या जो किसी ऐसी कंपनी/संस्था/इकाई द्वारा नियुक्त है जो किसी लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र को सेवाएं प्रदान करती है, और (2) जो, लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र द्वारा निर्धारित के अनुसार, नियमित आधार पर, सप्ताह में कम-से-कम एक बार 15 मिनट से अधिक समय के लिए लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र के अन्य व्यक्तियों के निकट संपर्क (6 फ़ीट से कम) में आता है। "लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र कर्मी" शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, जो लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र में केवल थोड़े ही समय के लिए उपस्थित है और स्थल पर दूसरों से समीपता वाली उसकी गतिविधियां क्षणिक है (जैसे, किसी स्थल पर डिलीवरी करने वाले ठेकेदार, जहां वे दूसरों से शारीरिक दूरी पर रहते हैं या किसी शिपमेंट को ले जाने या छोड़ने के लिए स्थल में बहुत कम समय के लिए प्रवेश करते हैं)।

iii. अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA) द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित COVID-19 टीके की दो खुराकों की शृंखला में दूसरी खुराक प्राप्त करने के दो सप्ताह बाद, या FDA द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या अन्यथा अनुमोदित एकल-खुराक COVID-19 टीका लगवाने के दो सप्ताह बाद, व्यक्ति को "COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण प्राप्त" माना जाता है।

b. सभी लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र के कर्मियों को 3 दिसंबर, 2021 तक कम से कम दो खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन श्रृंखला की पहली खुराक या एकल-खुराक वाली COVID-19 वैक्सीन और दो-खुराक वाली COVID-19 टीकाकरण श्रृंखला की दूसरी खुराक 3 जनवरी, 2022 तक ले लेनी चाहिए। जिस भी लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र कर्मी ने यह सिद्ध न किया हो कि COVID-19 के विरुद्ध उसका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उसका उप-अनुभाग (d) की आवश्यकताओं के अनुरूप परीक्षण किया जाना चाहिए। यह सिद्ध करने के लिए कि उनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र कार्मिकों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र को प्रदान करना होगा। निम्नलिखित में से कोई एक प्रदान करके COVID-19 टीकाकरण का प्रमाण पूरा किया जा सकता है: (i) CDC COVID-19 टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड या कार्ड का फोटोग्राफ; (ii) किसी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता की ओर से टीकाकरण का दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड; या (iii) राज्य के प्रतिरक्षीकरण (इम्युनाइज़ेशन) रिकॉर्ड।

c. लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र ऐसे सभी लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल कर्मियों के टीकाकरण की स्थिति के प्रमाणों से संबंधित रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे जो केंद्र द्वारा नियुक्त हैं, उसके लिए स्वयंसेवा करते हैं या उसे सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधित हैं। लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र ऐसे सभी लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल कर्मियों के, न्यूनतम तौर पर, साप्ताहिक कोविड-19 परीक्षण अनुपालन के प्रमाण से संबंधित रिकॉर्ड भी बनाकर रखेंगे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है और जो केंद्र द्वारा नियुक्त हैं या उसके लिए स्वयंसेवा करते हैं। किसी लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किसी इकाई/संस्था/कंपनी द्वारा नियुक्त लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल कर्मियों के मामले में, नियुक्तिदायी इकाई/संस्था/कंपनी के लिए टीकाकरण और साप्ताहिक परीक्षण के प्रमाण से संबंधित रिकॉर्ड बनाकर रखना आवश्यक है। अनुरोध किए जाने पर उक्त रिकॉर्ड लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र को उपलब्ध कराए जाने होंगे।

d. 3 सितंबर, 2021 से शुरू करते हुए, किसी लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र में प्रवेश करने या वहां अथवा उसके लिए कार्य करने के लिए, जिन लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र कार्मिकों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें COVID-19 परीक्षण से तब तक गुजरना होगा जब तक वे यह सिद्ध न कर दें कि उनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण हो गया है। जिन लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र कर्मियों का COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सप्ताह में कम-से-कम एक बार COVID-19 का परीक्षण करवाना होगा।

i. परीक्षण किसी ऐसे परीक्षण द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास या तो FDA की ओर से आपातकालीन उपयोग का प्राधिकरण हो, या फिर जो अमेरिकी Medicare एवं Medicaid सेवाएं केंद्रों द्वारा जारी प्रयोगशाला विकसित परीक्षण आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाता हो।

ii. लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र कर्मी को लाइसेंस-प्राप्त दिवसीय देखभाल केंद्र को निगेटिव परीक्षण परिणाम का प्रमाण या पुष्टि प्रदान करनी होगी।

iii. IDPH अनुशंसा करता है कि लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र कर्मियों का परीक्षण, यदि उपलब्ध हो तो PCR परीक्षण द्वारा किया जाए।

e. लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्रों को ऐसे लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र कार्मिकों को जिनका COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, को तब तक परिसर से वर्जित रखेंगे जब तक वे उप-अनुभाग (d) में निर्दिष्ट परीक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन न करें।

f. लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र लाइसेंस-प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र कर्मियों को परिसर में उपस्थित होने की अनुमति दे सकते हैं, जब तक कि वे इस कार्यकारी आदेश द्वारा आवश्यक साप्ताहिक, या अधिक बार, COVID-19 परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हों, जब तक कि उनमें COVID-19 के कोई लक्षण न हों जो एक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने तक बहिष्करण को आवश्यक करता है।

g. टीकाकरण या परीक्षण की आवश्यकता है, या इस कार्यकारी आदेश के अनुरूप लाइसेंस प्राप्त दिवासीय देखभाल केंद्र कर्मी को छोड़कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अधिनियम, 20 ILCS 2305/1.1 et seq के तहत अलगाव या संगरोध का गठन नहीं किया जाएगा, और अदालत के आदेश के बिना या एक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एक आदेश के बिना किया जा सकता है।

h. व्यक्तियों को COVID-19 के विरुद्ध पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता से छूट रहेगी यदि (i) टीकाकरण चिकित्सीय दृष्टि से निषिद्ध हो, इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो अशक्त अमेरिकी अधिनियम के या किसी अशक्तता-संबंधी उचित समायोजन पर लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी समायोजन के पात्र हैं, या (ii) टीकाकरण के लिए व्यक्ति को किसी निष्ठापूर्वक धारित धार्मिक विश्वास, प्रथा, या संस्कार/रीति-रिवाज का उल्लंघन करना पड़े या त्यागना पड़े। जो व्यक्ति यह दर्शाते हैं कि उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता से छूट प्राप्त है, वे, न्यूनतम तौर पर, उप-अनुभाग (d) में प्रावधानित के अनुसार, साप्ताहिक परीक्षण से गुजरेंगे।

i. 5 ILCS 100/5-45 के अनुसरण में, DCFS इस कार्यकारी आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक आपातकालीन नियमों को प्रख्यापित कर सकता है।

<u>अनुभाग 2: अतिरिक्त टीकाकरण एवं परीक्षण आवश्यकताएं।</u>

a. राज्य समर्थित समुदाय-आधारित परीक्षण साइटों सहित उपलब्ध परीक्षण संसाधनों के बारे में जानकारी यहां उपलब्ध है: http://dph.illinois.gov/testing. इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी कंपनी/संस्था/इकाई, सार्वजनिक या निजी या स्थानी सरकारी को कर्मियों, ठेकेदारों, छात्रों या आगंतुकों के लिए टीकाकरण या परीक्षण आवश्यकताओं को लागू करने से प्रतिबंधित नहीं करता है, जो इस कार्यकारी आदेश की आवश्यकताओं से अधिक है, जिसमें इस कार्यकारी आदेश की आवश्यकता से पहले की तारीख तक पूरी तरह से टीकाकरण की आवश्यकता शामिल है।

b. इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी कंपनी/संस्था/इकाई, सार्वजनिक या निजी या स्थानीय सरकारी, को लागू कानून के अनुरूप, साप्ताहिक आधार पर परीक्षण का विकल्प प्रदान किए बिना कर्मियों, ठेकेदारों, या आगंतुकों को पूरी तरह से टीकाकरण की आवश्यकता को लागू करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।

<u>अनुभाग 3: बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)</u>

इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी राज्य या संघीय कानून का उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

अनुभाग 4: विच्छेदनीयता

यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता इस कार्यकारी आदेश के किसी अन्य प्रावधान या उपयोग को लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या उपयोग के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को आज्ञा-पालन योग्य घोषित किया गया है।

अनुभाग 5: प्रभावी होने की तारीख

यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (Secretary of State) के पास दाखिल होने के तुरंत बाद प्रभावी होगा और समाप्त या संशोधित होने तक प्रभावी रहेगा।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

राज्यपाल द्वारा अक्तूबर 22, 2021 को जारी
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा अक्तूबर 22, 2021 को दायर